न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, जिला अमरोहा।
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–977 / 2026
1–चमनलाल पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम सडिया थाना सुनगढ़ो जिला पीलीभीत।

.....**प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश .....**विपक्षी।**

अपराध संख्या 35 सन 2025,
धारा–318(4) बी0एन0एस0
व धारा 66 डी सूचना एवं
प्रद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम
थाना–साईबर क्राईमपुलिस अमरोहा
जिला अमरोहा।

संशोधित आदेश

23.06.2026–

प्रार्थी / अभियुक्त चमनमाल की ओर से जमानत आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने उपरोक्त मुकदमा में अपनी जमानत हेतु प्रार्थना पत्र गुजारा था जिसका निस्तारण करते समय आदेश में प्रार्थी की अपराध संख्या वर्ष 2026 अंकित हो चुका है जबकि प्रार्थी का वास्तविक अपराध संख्या वर्ष 2025 है जिसका निस्तारण आदेश में अपराध संख्या में वर्ष 2025 अंकित कराया जाना आवश्यक है। याचना की गयी है कि प्रार्थी के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण आदेश में अपराध संख्या में वर्ष 2025 अंकित किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

सुना तथा प्रपत्रों एवं जमानत आदेश दिनांत 17.06.2026 का अवलोकन किया।

अभियुक्त चमनलाल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 17.06.2026 को किया गया है किन्तु जमानत आदेश दिनांकित 17.06.2026 में लिपिकीय टंकण त्रुटि के कारण जमानत आदेश के प्रथम पृष्ठ पर दूसरी लाईन में अपराध संख्या में सन 2026 व जमानत आदेश के पृष्ठ सं0 4 पर आदेश के नीचे से तीसरी लाईन में अपराध संख्या में सन 2026 अंकित हो गया है। जिसको संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपराध संख्या में सन 2025 किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से दिये गये संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश दिनांकित 17.06.2026 के प्रथम पृष्ठ पर द्वितीय लाईन में अपराध संख्या में सन 2026 के स्थान पर सन 2025 एवं पृष्ठ संख्या 4 पर आदेश में नीचे से तीसरी लाईन में अपराध संख्या में सन 2026 के स्थान पर सन 2025 पढ़ा जाए तदनुसार आदेश संशोधित समझा जाए।

एस0डी / –

(शाकिर हसन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अमरोहा
23.06.2026